

उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर

// आदेश //

क्रमांक ...D/3964.../

जबलपुर, दिनांक २१/ ०९/ 2023

श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर को आकस्मिक अवकाश शेष न होने पर भी दिनांक 01.09.23 का आकस्मिक अवकाश का उपभोग करने के फलस्वरूप उक्त अवधि का अवैतनिक किया जाता है।

माननीय रजिस्ट्रार जनरल
महोदय के आदेशानुसार

सही /—
(विकास चन्द्र मिश्रा)
रजिस्ट्रार (प्रशा.)

पृष्ठांकन क्रमांक D/3965.../

जबलपुर, दिनांक २१/ ०९ / 2023

प्रतिलिपि :-

- सीनियर प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट (एस.ए.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर आदेश उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश की वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु,
- असि. रजिस्ट्रार (एम), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर,
- सहायक वेतन पत्रक/सेवापुस्तिका/अवकाश/प्रोटोकॉल, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर,
- दो अतिरिक्त प्रति सहित आफिस टायपिस्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर,
- श्रीमती ममता दास, कोर्ट अटेंडेन्ट, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश जबलपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित्।


(विकास चन्द्र मिश्रा)
कौम, रजिस्ट्रार (प्रशा.)